भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 06 / 45 / 2018 / एफ.सी. / 212 — दिनॉक: 22.06.2018

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/30203/2017

विषय: जनपद गोरखपुर में एन0एच0–29 के छूटे शहरी भाग (नौसढ़ चौराहे से बाधागाड़ा तक) किमी0 0.000 से 3.250 तक के फोर लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के कार्य में प्रभावित 4.225 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 226 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक–5084 / 11सी – FP/UP/Road/30203/2017, Dated: 29-05-2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर **मुख्य** वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– **3007 / 11सी** – FP/UP/Road/30203/2017, Dated: 25-04-2018, का आषय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद गोरखपुर में एन0एच0–29 के छूटे शहरी भाग (नौसढ़ चौराहे से बाधागाड़ा तक) किमी0 0.000 से 3.250 तक के फोर लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के कार्य में प्रभावित 4.225 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 226 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दो गुने अवनत (4.225 x 2 = 8.450) अर्थात 8.450 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवष्यक धनराषि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंषोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

2. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराषि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांन्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराषि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराषि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांष एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्षाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी

5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

7. प्रकरण में कार्यानुमति देने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र– 11–306/2014–एफ0सी0(pt.), दिनांक– 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेषक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेषक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर, उ0 प्र0।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड भवन, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर, उ0 प्र0।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेष पत्रावली ।

22.6.18

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक(के.)